न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 35 / 2025(GCMS 2025/201)

श्री नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह निवासी वार्ड नं. 24, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर

28.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.01.2025 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.01.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1.	रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत लिखमेवाला का चक 23 पीएस''ए'' के मुरब्बा नम्बर 7 की कृषि भूमि पर सन् 2023–24 में जिन जिन व्यक्तियों को रजिस्ट्री की गई है, उनका नाम पता, भूमि साईज, पंजीयन दिनांक [illegible] प्रमाणित प्रति
2.	जिस राजस्व अधिकारी (पटवारी) [illegible] रजिस्ट्री की गई है, उस अधिकारी के नाम पते [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक रीडर / 2025 / 23 दिनांक 28.01.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना के अधिकार के संबंध में आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	सूचना का जवाब
1	रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत लिखमेवाला का चक 23 पीएस''ए'' के मुरब्बा नम्बर 7 की कृषि भूमि पर सन 2023—24 में जिन जिन व्यक्तियों को रजिस्ट्री की गई है, उनका नाम पता, भूमि साईज, पंजीयन दिनांक की प्रमाणित प्रति।	आप द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में तैयारशुदा उपलब्ध नहीं है एवं किसी भी पंजीकृत दस्तावेज क प्रति दस्तावेज संख्या, दस्तावेज पंजीयन संख्या एवं दस्तावेज पंजीयन दिनांक के साथ पक्षकारों के नाम से ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पंजीयन दस्तावेज प्रतिलिपि शुल्क (230 रू प्रति दस्तावेज) के साथ उपलब्ध करवाई जा सकती है। अतः आप कार्यालय समय में उपलब्ध रिकॉर्ड का निरीक्षण कर चाही गई सूचना का संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दवें ताकि आपको समय पर सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
2	जिस राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा रजिस्ट्री की गई उस अधिकारी का नाम, पते की प्रमाणित प्रति	

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही [illegible] लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:52 IST
Reason: SelfAttested

M
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए **तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं** तहसीलदार **(राजस्व), रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.05.2025 को [illegible] **लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:52 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर